



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
(प्रकीर्ण वर्ग)

लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।

Office of Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: cepwd@rediff.com

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2531072



Web-http://pwd.uk.gov.in

पत्राक:- 790 / 138सा0प्र0/20

दिनांक:- 18 / 09 / 2020

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के पत्र संख्या-364/138 सा0प्र0/20 दिनांक-01.07.2020 द्वारा Technical Consultancy Services, 14-C Arawali Enclave, GMS Road Dehradun को लोक निर्माण विभाग में Bridge category B-2 में 02 वर्ष के लिए (दिनांक 30.06.2022 तक) Empanel किया गया है।

वर्तमान में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 की धारा 55(1)के कम में मात्र ऐसे परामर्शी कार्य हेतु सूचीबद्धता की जा सकती है जिनकी लागत रु0 15.00 लाख मात्र तक हो। अतः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली की धारा 55 (1) में उल्लिखित नियम के आधार पर मात्र B-1 Category में परामर्शियों (Consultants) की सूचीबद्धता किया जाना निश्चित हुआ है एवं भविष्य में भी Bridge category B-2 में किसी भी Consultant का Empanelment न किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

अतः प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त लो0नि0वि0 में Technical Consultancy Services, 14-C, Arawali Enclave, GMS Road Dehradun का Bridge category B-2 में Empanelment एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(अयाज अहमद)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, क्षेत्रीय कार्यालय/रा0मा0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0यू0, ए0डी0बी0/पी0एम0 जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी/पौड़ी/अल्मोड़ा/टिहरी/पिथौरागढ़।
4. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर I/II, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,..... वा वृत्त, लो0नि0वि0..... को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश से अपने अधीनस्थ खण्डों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
6. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
7. Technical Consultancy Services, 14-C Arawali Enclave, GMS Road Dehradun को इस आशय से प्रेषित कि यदि आप Bridge category B-1 में Empanelment हेतु इच्छुक हैं तो इस कार्यालय के पत्र संख्या-679/138सा0प्र0/20 दिनांक 07.09.2020 के कम में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)